मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 2011 (फाल्गुन 17, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. महिला दिवस पर विशेष उल्लेख

सदन की बैठक के प्रारम्भ में श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री तथा श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य द्वारा आज महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सशक्तीकरण सम्बन्धी उद्‌गार व्यक्त किए गए।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 8 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 139 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 129 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

(श्री जेबियर मेड़ा, सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र.516),"एकीकृत डेयरी विकास परियोजना द्वारा हितग्राहियों को लाभान्वित करने" के सम्बन्ध में शासन द्वारा 1007 गायों की मृत्यु सम्बन्धी प्रकरण की सदन की समिति से जांच कराने की मांग न मानने के विरोध में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने रतलाम की पेयजल समस्या के निदान के लिये माही नदी का पानी लाये जाने,

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर की ग्राम पंचायत वीरपुर में हितग्राही को इंदिरा आवास ऋण की किश्त न दी जाने,

(3) श्री रामकिशोर कांवरे,सदस्य ने परसवाड़ा की गांगलपुरा बीट में सड़क निर्माण के मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने,

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर जिले में तुषार-पाले से नष्ट फसलों का मुआवजा न दिये जाने,

(5) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने नरयावली विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में विद्युत संकट होने तथा

(6) श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत बी.ए.एम.एस.इन्टर्नशिप का स्टाइपेंड बढ़ाए जाने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1998-99 से 2003-04 में की गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2001-02, 2002-03. 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा आयोग के प्रतिवेदन, वर्ष 2001-02 से 2007-08 में की गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन पटल पर रखे।

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्य मंत्री, ऊर्जा ने उनके विभाग की अधिसूचनाएं - दिनांक 27 अक्टूबर, 2010, 30 अक्टूबर, 2010, 9 नवम्बर, 2010, 15 नवम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2010, 23 दिसम्बर, 2010, 27 दिसम्बर, 2010 तथा 17 फरवरी, 2011 पटल पर रखीं।

(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्य मंत्री, लोक सेवा प्रबंधन ने उनके विभाग की अधिसूचना, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 पटल पर रखी।

5. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत तथा ऐदल सिंह कंसाना, सदस्यगण ने मुरैना जिले के ग्राम पिपरई के पास उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(सर्वश्री रामनिवास रावत तथा ऐदल सिंह कंसाना, सदस्यगण ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया)

(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद स्थित सेठानी घाट का पुनर्निर्माण न होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की दमोह जिले के -

(क) ग्राम पंचायत मुहरई, खमरगौर कांटी एवं हटा के हाई स्कूलों के भवन निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम मझगुवां, पतोल एवं सोजना के हाई स्कूलों के भवन निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम रमतलैया के अनुसूचित जाति मोहल्ले में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम रसोटा में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
(ङ) ग्राम पंचायत बिलाई में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
(च) ग्राम वाजना ग्राम पंचायत रजपुरा, हटा में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
(छ) ग्राम पंचायत वर्धा के बरैया नाला पर पुल निर्माण किये जाने, तथा
(ज) ग्राम पंचायत मादो के अनुसूचित जाति मोहल्ले में सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने,

(2) श्री परसराम मुद्‌गल, सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) ग्राम खुरतला में तालाब का गहरीकरण किये जाने,
(ख) ग्राम पंचायत दौरावली से करोली माता मंदिर तक रोड निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम पंचायत दौरावली में नल जल योजना प्रारंभ किये जाने,
(घ) ग्राम सेवा में सड़क निर्माण किये जाने,
(ङ) ग्राम पंचायत सेवा में नदी घाट निर्माण किये जाने, तथा
(च) ग्राम विजयापुरा में सी.सी. रोड़ निर्माण किये जाने,

(3) श्री नारायण सिंह पट्‌टा, सदस्य की मण्डला जिले के ग्राम कुंटी ददरगांव से टहंगी के बीच स्टाप डेम निर्माण करने,

(4) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के -

(क) ग्राम भसंधा में हाई स्कूल खोले जाने,
(ख) ग्राम कछार गांव में हैण्ड पंप खनन किये जाने,
(ग) ग्राम पहाड़ी खेड़ा के अनुसूचित जाति मोहल्ले में विद्युतीकरण किये जाने,
(घ) ग्राम बहोरीबंद से बरही राम पाटन तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,
(ङ) ग्राम सलैया फाटक में हाई स्कूल खोले जाने,
(च) ग्राम पंचायत निमास की मा. शाला का उन्नयन किये जाने,
(छ) ग्राम अमगवां में नल-जल योजना स्वीकृत किये जाने,
(ज) ग्राम बंधी के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
(झ) ग्राम बरही में जलाशय का निर्माण किये जाने,
(ञ) ग्राम पंचायत पाकर में मा. वि. का उन्नयन किये जाने,
(ट) ग्राम पटीराजा में नल-जल योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने,
(ठ) ग्राम पंचायत खम्हरिया में नल-जल योजना प्रारंभ किये जाने,
(ड) ग्राम इमलिया में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने तथा

(5) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य की सिवनी जिले के ग्राम केदारपुर तक उद्वहन सिंचाई योजना से जल-प्रदाय करने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

7. उद्योग मंत्री का प्रश्न सम्बन्धी वक्तव्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्योग मंत्री ने दिनांक 22 जुलाई, 2010 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्रमांक 644) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

8. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिये सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का पुनरीक्षित निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल तथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को माननीय सदस्यों के अनुरोध पर निम्नानुसार पुनरीक्षित किया गया है :-

"1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 9 मार्च, 2011 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2011 को अपराह्न 3.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-6 में होगी।

3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2011 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

5. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।"

10. वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ....(क्रमशः)

वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक पर दिनांक 4 मार्च, 2011 को हुई सामान्य चर्चा के क्रम में, निम्नलिखित सदस्यगण ने भी भाग लिया :-

(12) श्री सुदर्शन गुप्ता
(13) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(14) श्री रामलखन सिंह
(15) श्री लक्ष्मण तिवारी
(16) श्री मानवेन्द्र सिंह
(17) श्री देवेन्द्र वर्मा

(अपराह्न 1.01 से 2.38 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(18) डॉ. निशिथ पटेल
(19) श्री आरिफ अकील
(20) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(21) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(22) श्री परसराम मुद्‌गल
(23) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(24) श्री ब्रजराज सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(25) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 4.45 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 9 मार्च, 2011 (फाल्गुन 18, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 8 मार्च, 2011